

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी अलवर [राज०]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
17.2.21	<p>पत्रावली देवा हुई। बार-बार आवाज लगाया जाने के बाद भी न तो अभिभाषक अपीलान्ट और न ही स्वयं अपीलान्ट उपस्थित आया। अतः अपील अपीलान्ट अदम हाजिरी अदम पैरवी में रवारिज की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुभार होकर नब्बर से कम की जाकर बाद तकनील आबता दारिगल दफ़तर की आके।</p>

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर